

CONFIDENCIAL

MEMORANDUM

Minister-in-charge	Transport Minister, Haryana
Administrative Secretary	Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana Transport Department, Chandigarh
Subject:- Annual Administrative Report of Transport Department, Haryana for the year 2011-12.	

Annual Administative Report of Transport Department, Haryana for the year 2011-12 along with its review and critique (in Hindi and English)) is placed before the Council of Ministers for consideration in compliance with Government instructions issued vide No. 7/5/89-6PP, dated 22.12.1992.

2. Prior approval of the Hon'ble Chief Minsiter for placing this matter before the Council of Ministers has been obtained.

Dated: Chandigarh,
the 30-7-2019


(Trilok Chand Gupta)
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Transport Department, Chandigarh

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE TRANSPORT DEPARTMENT (REGULATORY WING), HARYANA FOR THE YEAR 2011-12.

As per the directions of Hon'ble Supreme Court of the India in SLP No. 6974 of 2001, the Department was bifurcated into two separate wings i.e. Regulatory and Commercial Wings.

Regulatory Wing of the Department has been entrusted with the responsibility of the implementation of the provisions of Motor Vehicles Act, 1988, Carriage by Road Act, 2007 and Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924-as applicable to Haryana as well as rules made under the respective Acts.

1. The number of fresh and duplicate driving licences issued during the year **2011-2012** were **3,63,505** and **32,979** respectively and **1,47,080** driving licences were renewed. Besides this **4,25,412** learner licences were issued.
2. **19,194** fresh conductor licences and **828** duplicate copies of licences were issued during the year **2011-12** and **9,973** conductor licenses were renewed during the said period.
3. **6,07,587** new motor vehicles were registered during the year **2011-12** besides this **45,114** duplicate Registration, **1,127** trade Certificates, **6,92,914** Transfer in ownership and **1,93,341** Hire Purchase Agreement were issued during the year **2011-12**.
4. In the year **2011-12** fitness certificates to **2,04,548** vehicles were issued.
5. In the year **2011-12**, **60,682** permits were issued to different vehicles. Besides this **6,300** temporary permits were issued and **249** interstate permits were countersigned. At the end of the year **2011-12** the total no. of permits issued to different vehicles were **1,32,866**.
6. The details of the income received for providing services to the general public under the Motor Vehicles Act, 1988 and Rules made thereunder are as under:-

Sr.No.	Details	Income (in lacs)
1	New/Duplicate/Renewed driving licence	1252-64 Table (3)
2	Learner Driving Licence	335-92 Table (3)
3	New/Duplicate/Renewed conductor licence	36-64 Table (3)
4	Registration of new vehicles	7366-37 Table (5)
5	Road Tax	43817-36 Table (5)
6	Duplicate Registration	49-22 Table (5)
7	Trade Certificate	2-82 Table (5)
8	Transfer in ownership	132-81 Table (5)
9	Hire Purchase Agreement	202-13 Table (5)
10	Fitness Certificate	856-13 Table (6)
11	Issue of permit/countersignature/composition fee	37-42 Table (12)

7. The No.of vehicles on road at the end of the year 2011-12 was **59,78,110**. (Table 4).
8. During the year 2011-12, Regional Transport Authorities, Ambala, Hisar, Rewari, Rohtak, Karnal, Jind, Sirsa, Yamunanagar, Gurgaon Faridabad, Bhiwani, Fatehabad, Jhajjar, Kaithal, Kurukshetra, M.Garh, Panchkula, Panipat, Sonepat, Mewat and Palwal allowed replacement of the 2,838 Public carriers, private carrier and taxi/auto rickshaw.
9. The District Police challaned **4,10,392** vehicles under the Motor Vehicles Act for violating Traffic rules during the year 2011-12 and a fine of Rs. **2161.90 lacs** was realised from these challans. In addition to this **5,305** vehicles were challaned under the Indian Penal Code and fine of Rs. **0.72 lacs** was realised from these challans.

Dated: Chandigarh, the

30 - 7 - 2019

(Trilok Chand Gupta)
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Transport Department, Chandigarh

**A CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATION REPORT
OF TRANSPORT DEPARTMENT (REGULATORY WING) FOR THE YEAR
2011-12.**

1. During the year 2011-12 the Regulatory Wing of the Department functioned efficiently.
2. The number of fresh and duplicate driving licences issued during the year 2011-2012 were **3,63,505** and **32,979** respectively and **1,47,080** driving licences were renewed. Besides this **4,25,412** learner licences were issued. A sum of Rs. **1252.64** lacs was realized on this account.
3. **19,194** fresh conductor licences and **828** duplicate copies of licences were issued during the year 2011-12 and **9,973** conductor licenses were renewed during the said period. A sum of Rs. **36.64** lacs was realized on this account.
4. **6,07,587** new motor vehicles were registered during the year 2011-12 besides this **45,114** duplicate Registration, **1,127** trade Certificates, **6,92,914** Transfer in ownership and **1,93,341** Hire Purchase Agreement were issued during the year 2011-12.
5. In the year 2011-12 fitness certificates to **2,04,548** vehicles were issued. A sum of Rs. **856.13** lacs was realized on this account.
6. In the year 2011-12, **60,682** permits were issued to different vehicles. Besides this **6,300** temporary permits were issued and **249** interstate permits were countersigned. At the end of the year 2011-12 the total no. of permits issued to different vehicles were **1,32,866**.
7. The No.of vehicles on road at the end of the year 2011-12 was **59,78,110**.
8. During the year 2011-12, Regional Transport Authorities in the State allowed replacement of the **2,838** Public carriers, private carrier and taxi/auto rickshaw.
9. The District Police challaned **4,10,392** vehicles under the Motor Vehicles Act for violating Traffic rules during the year 2011-12 and a fine of Rs. **2161.90** lacs was realised from these challans. In addition to this **5,305** vehicles were challaned under the Indian Penal Code and fine of Rs. **0.72** lacs was realised from these challans.

Dated: Chandigarh, the

30 - 7 - 2019

[Signature]
(Trilok Chand Gupta)

**Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Transport Department, Chandigarh**

गोपनीय

ज्ञापन

कार्यभार मंत्री
प्रशासकीय सचिव

परिवहन मंत्री, हरियाणा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़।

विषय:- परिवहन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2009-10 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट बारें।

परिवहन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2009-10 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट इसकी समीक्षा तथा समालोचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सहित, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 7/5/89-6पी.पी. दिनांक 22.12.1992 द्वारा जारी की गई हिदायतों की अनुपालना में मंत्री परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है।

2. इस मामले में मंत्री परिषद के सम्मुख रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

चण्डीगढ़,
दिनांक: ३०-७-१९

त्रिलोक चंद गुप्ता
(त्रिलोक चंद गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़।

परिवहन विभाग, हरियाणा (नियामक शाखा) की वर्ष 2011–12 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एस.एल.पी संख्या 6974/2001 में निर्देशानुसार विभाग को दो अलग विभागों यानि नियामक तथा वाणिज्य शाखा में बांटा गया। विभाग की नियामक शाखा को मोटर यान अधिनियम, 1988 सङ्क द्वारा वहन अधिनियम, 2007, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1924 (जैसा कि हरियाणा में लागू) तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

वर्तमान वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट परिवहन विभाग (नियामक शाखा) द्वारा वर्ष 2011–12 में किए गए कियाकलापों का व्यौरा प्रस्तुत करती है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:—

1. वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत **3,63,505** नये तथा **32,979** प्रतिलिपि चालक अनुज्ञाप्ति पत्र जारी किये गये तथा **1,47,080** चालक अनुज्ञाप्ति पत्रों का नवीकरण किया गया इसके अतिरिक्त **4,25,412** शिक्षार्थी अनुज्ञाप्ति पत्र जारी किए गए।
2. वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत **19,194** नये तथा **828** प्रतिलिपि परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र जारी किये गये तथा **9,973** परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्रों का नवीकरण किया गया।
3. वर्ष 2011–12 में **6,07,587** मोटर वाहन पंजीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त **45,114** प्रतिलिपि पंजीकरण, **1,127** ड्रेड प्रमाण पत्र, **6,92,914** स्वामीत्व में परिवर्तन एवं **1,93,341** किराया खरीद समझौता (एच.पी.ए) किए गए।
4. वर्ष 2011–12 में **2,04,548** वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए गए।
5. वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत कुल **60,682** अनुज्ञा पत्र विभिन्न वाहनों को जारी किए गए। इसके अतिरिक्त **6,300** अस्थाई अनुज्ञा पत्र भी जारी किये गये तथा **249** अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2011–12 के अन्त तक विभिन्न वाहनों को जारी किए गए अनुज्ञा पत्रों की कुल संख्या **1,32,866** थी।
6. मोटर यान अधिनियम 1988 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आम जनता को चालक/परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र, वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा अनुज्ञा पत्रों से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करवाने से हुई आय का व्यौरा निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	व्यौरा	आय (लाखों में)
1	नए/प्रतिलिपि/नवीनकृत चालक अनुज्ञाप्ति पत्र	1252.64 तालिका (3)
2	चालक शिक्षार्थी अनुज्ञाप्ति पत्र	335.92 तालिका (3)
3	नए/प्रतिलिपि/नवीकृत परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र	36.64 तालिका (3)
4	नए वाहनों का पंजीकरण	7366.37 तालिका (5)
5	टोकन कर	43817.36 तालिका (5)
6	प्रतिलिपि पंजीकरण	49.22 तालिका (5)
7	ड्रेड प्रमाण पत्र	2.82 तालिका (5)
8	स्वामीत्व में परिवर्तन	132.81 तालिका (5)
9	किराया खरीद समझौता	202.13 तालिका (5)
10	फिटनेस प्रमाण पत्र	856.13 तालिका (6)
11	परमिट जारी/प्रतिहस्ताक्षर/कम्पोजिशन शुल्क	37.42 तालिका (12)

7. वर्ष 2011–12 के अन्त तक सड़क पर चल रही वाहनों की संख्या 59,78,110 थी। तालिका (4).
8. वर्ष 2011–12 में जिला परिवहन कार्यालय अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, करनाल जीन्द, सिरसा, यमुनानगर, गुडगाँव, फरीदाबाद, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पचकूला, पानीपत, सोनीपत, मेवात व पलवल द्वारा 2,838 सार्वजनिक वाहक, निजी वाहक तथा टैक्सी/आटो रिक्शा के बदले नये वाहन डालने की अनुमति प्रदान की गई।
9. जिला पुलिस ने वर्ष 2011–12 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले 4,10,392 वाहनों के चालान किये और इनसे कुल 2161.90 लाख रुपये जुर्माने के रूप में एकत्रित किये गये। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 5,305 चालान किये गये और इन चालानों से 0.72 लाख जुर्माने के रूप में एकत्रित किये गये।

त्रिलोक चंद गुप्ता
(त्रिलोक चंद गुप्ता)

दिनांक, चण्डीगढ़

30-7-2019

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़

परिवहन विभाग हरियाणा (नियामक शाखा) की वर्ष 2011-12 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समालोचना

1. वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग के नान-कमर्शियल शाखा का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा।
2. वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत 3,63,505 नये तथा 32,979 प्रतिलिपि चालक अनुज्ञाप्ति पत्र जारी किये गये तथा 1,47,080 चालक अनुज्ञाप्ति पत्रों का नवीकरण किया गया इसके अतिरिक्त 4,25,412 शिक्षार्थी अनुज्ञाप्ति पत्र जारी किये गये। इनसे राज्य को 1252.64 लाख रूपये की आय हुई।
3. वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत 19,194 नये तथा 828 प्रतिलिपि परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र जारी किये गये तथा 9,973 परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्रों का नवीकरण किया गया। इनसे राज्य को 36.64 लाख रूपये की आय हुई।
4. वर्ष 2011-12 में 6,07,587 मोटर वाहन पंजीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त 45,114 प्रतिलिपि पंजीकरण, 1,127 ट्रेड प्रमाण पत्र, 6,92,914 स्वामीत्व में परिवर्तन एवं 1,93,341 किराया खरीद समझौता किए गए।
5. वर्ष 2011-12 में 2,04,548 वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए गए। इनसे राज्य को 856.13 लाख रूपये की आय हुई।
6. वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत कुल 60,682 अनुज्ञा पत्र विभिन्न वाहनों को जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 6,300 अस्थाई अनुज्ञा पत्र भी जारी किये गये तथा 249 अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2011-12 के अन्त तक विभिन्न वाहनों को जारी किए गए अनुज्ञा पत्रों की कुल संख्या 1,32,866 थी।
7. वर्ष 2011-12 के अन्त तक सड़क पर चल रही वाहनों की संख्या 59,78,110 थी।
8. वर्ष 2011-12 में जिला परिवहन कार्यालयों ने 2,838 सार्वजनिक वाहक, निजी वाहक तथा टैक्सी/आटो रिक्षा के बदले नये वाहन डालने की अनुमति प्रदान की गई।
9. जिला पुलिस ने वर्ष 2011-12 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले 4,10,392 वाहनों के चालान किये और इनसे कुल 2161.90 लाख रूपये जुर्माने के रूप में एकत्रित किये गये। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 5,305 चालान किये गये और इन चालानों से 0.72 लाख जुर्माने के रूप में एकत्रित किये गये।

(त्रिलोक चंद गुप्ता)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग, चण्डीगढ़

दिनांक, चण्डीगढ़

30-7-2019

परिवहन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2011-12 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

परिवहन विभाग की नियमक शाखा मोटर यान अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी का वहन करती है। विभाग का कार्य मुख्यालय एवं 21 क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटा हुआ है। जिसमें हर प्रकार के मोटर वाहनों का पंजीकरण, चालक एवं परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र जारी करना, परिवहन वाहनों को अनुज्ञा पत्र जारी करना तथा राज्य में संचालित अनाधिकृत वाहनों पर शिकंजा कसना सम्मिलित है।

विभाग का कार्य परिवहन मन्त्री या राज्य परिवहन मन्त्री की देख रेख में किया जाता है। नियमक शाखा का कार्य परिवहन आयुक्त तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के अधीन है। मुख्यालय का कार्य जन साधारण को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु नीतियों का निर्धारण एवं उनका बेहतर ढंग से कियान्वन करवाना है। क्षेत्रीय कार्यालय सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की देखरेख में कार्य करते हैं जिनका मुख्य कार्य विभाग द्वारा बनाई गई नीतियों तथा मोटर यान अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करना है।

परिवहन विभाग हरियाणा (नियमक शाखा) की वर्ष 2011-12 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में विभाग द्वारा किए गए कियाकॉलापों एवं उनके द्वारा होने वाली आय का विवरण अंकित किया गया है जो निम्न अनुसार है:-

1 शिक्षार्थी/चालक तथा परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र जारी करना :

जिला तथा उप मण्डल स्तर पर परिवहन तथा गैर परिवहन वाहनों के संचालन हेतु शिक्षार्थी/चालक तथा परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र कमशः सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों तथा उप मण्डल अधिकारियों द्वारा नियमानुसार जारी किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत 3,63,505 नये चालक अनुज्ञाप्ति पत्र, 1,47,080 चालक अनुज्ञाप्ति पत्र नवीकृत तथा 32,979 प्रतिलिपि चालक अनुज्ञाप्ति पत्र जारी किये।

वर्ष 2011-12 में जारी किए गए शिक्षार्थी/चालक तथा परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्रों का जिलावार विवरण तालिका -1 में दर्शाया गया है:-

तालिका-1

उपमण्डल अधिकारी (ना०)-कम-पंजीकरण प्राधिकरण						
क्र. सं.	जिले का नाम	नये जारी किये गये शिक्षार्थी/चालक अनुज्ञाप्ति पत्र	नये जारी किये गये चालक अनुज्ञाप्ति पत्र	निरस्त	नवीकृत	प्रतिलिपि वैध चालक अनुज्ञाप्ति पत्र (31.3.2012)
1.	अमौला	22,145	20,902	0	6,738	2,698 29,233
2.	भिवानी	29,663	29,234	0	3,938	1,036 56,906
3.	फरीदाबाद	38,964	31,181	0	20,200	6,783 3,98,506
4.	फतेहाबाद	13,331	9,503	0	6,728	1,113 77,152
5.	गुडगाँव	11,701	1,525	0	1,919	196 12,131
6.	हिसार	20,423	15,749	0	4,495	1,901 15,749
7.	झज्जर	32,432	35,135	0	5,750	2,021 36,541
8.	जर्रीद	26,772	18,361	0	2,804	1,246 34,015
9.	कैथल	17,768	17,768	0	0	0 17,768
10.	करनाल	28,243	2,744	0	6,642	2,525 23,652
11.	कुरुक्षेत्र	18,408	11,014	0	10,139	2,593 42,154
12.	महेन्द्रगढ़	19,682	15,680	0	1,095	603 52,624
13.	पंचकुला	14,428	10,951	0	906	414 6,609
14.	पानीपत	21,364	23,743	0	5,437	1,806 23,743
15.	रिवाड़ी	19,949	22,498	0	159	101 19,245
16.	रोहतक	25,394	21,452	0	5,081	1,971 53,898
17.	सिरसा	17,143	15,276	0	9,581	1,332 15,276
18.	सोनीपत	7,510	10,219	0	5,120	0 12,339
19.	यमुनानगर	17,334	16,815	0	1,001	148 20,705
20.	मेवात	4,000	5,336	878	1,925	3,053 21,715
21.	पलवल	12,246	11,025	79	1,800	750 10,627
	कुल (1-21)	4,18,900	3,46,111	957	1,01,458	32,290 9,80,588

सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण

1.	अम्बाला	367	327	0	2,035	23	2,752
2.	भिवानी	0	2,205	0	1,410	68	3,615
3.	फरीदाबाद	755	605	0	2,811	123	3,416
4.	फतेहाबाद	161	161	0	615	12	0
5.	गुडगाँव	738	5,638	0	11,341	96	16,979
6.	हिसार	633	633	0	4,340	12	633
7.	झज्जर	2	2,421	0	4,817	104	724
8.	जींद	290	290	0	67	0	180
9.	कैथल	0	270	0	0	0	270
10.	करनाल	184	184	0	1,301	19	1,485
11.	कुरुक्षेत्र	61	106	0	385	16	568
12.	महेन्द्रगढ़	1,466	1,466	0	3,238	15	8,942
13.	पंचकूला	8	8	0	778	12	798
14.	पानीपत	0	207	0	0	0	207
15.	रिवाड़ी	815	815	0	4,835	39	4,835
16.	रोहतक	765	765	0	765	40	4,269
17.	सिरसा	26	26	0	0	0	2,373
18.	सोनीपत	0	869	0	1,311	35	15,436
19.	यमुनानगर	77	393	0	1,187	34	2,025
20.	मेवात	11	0	0	3,970	36	8,525
21.	पलवल	153	5	0	416	5	416
	कुल(1-21)	6,512	17,394	0	45,622	689	78,448
	कुल (1 से 42)	4,25,412	3,63,505	957	1,47,080	32,979	10,59,036

(ii) परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्रः—

वर्ष 2011–12 में 19,194 नये परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र, 9,973 परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्रों का नवीकरण तथा 828 प्रतिलिपि परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र जारी किये गये।

वर्ष 2011–12 में जारी, निरस्त, नवीकृत, एवं प्रतिलिपि जारी किए गए परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्रों का जिलावार विवरण तालिका 02 में दर्शाया गया है :—

तालिका —2

उपमण्डल अधिकारी (ना०)–कम–पंजीकरण प्राधिकरण

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2011–12 में नये जारी किये गये	निरस्त	नवीकृत	प्रतिलिपि	वैध परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र (31.3.2012)
1.	अम्बाला	318	0	193	52	403
2.	भिवानी	3,293	0	1,369	57	12,267
3.	फरीदाबाद	198	0	163	0	4,526
4.	फतेहाबाद	470	0	411	70	18,562
5.	गुडगाँव	85	0	5	0	852
6.	हिसार	849	0	702	33	849
7.	झज्जर	1,598	0	1,975	59	1,654
8.	जींद	1,159	0	295	20	5,653
9.	कैथल	1,249	0	230	241	1,720
10.	करनाल	212	0	234	9	381
11.	कुरुक्षेत्र	394	0	304	7	705
12.	महेन्द्रगढ़	892	0	537	15	3,538
13.	पंचकूला	67	0	23	0	829
14.	पानीपत	531	0	228	0	531
15.	रिवाड़ी	403	0	117	2	522
16.	रोहतक	1,416	0	277	42	1,735
17.	सिरसा	3,113	0	1,524	152	3,113
18.	सोनीपत	1,494	0	810	22	1,704
19.	यमुनानगर	288	0	475	10	767
20.	मेवात	422	113	55	10	631
21.	पलवल	743	75	46	27	804
	कुल	19,194	188	9,973	828	61,746

2 शिक्षार्थी / चालक अनुज्ञाप्ति पत्र तथा परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र से आय

वर्ष 2011–2012 में चालक अनुज्ञाप्ति पत्र से **12,52,64,695** रुपये, शिक्षार्थी चालक अनुज्ञाप्ति पत्र से **3,35,92,974** रुपये तथा परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्रों से **36,64,208** रुपये की आय हुई जिस का विवरण तालिका 03 में दिया गया है।

तालिका –3 परिचालक / चालक अनुज्ञाप्ति पत्रों से आय (रुपये में)

उपमण्डल अधिकारी (ना०)–कम–रजिस्ट्रींग अथोरिटी			(रुपये में)	
क्र० सं.	जिले का नाम	परिचालक अनुज्ञाप्ति पत्र	शिक्षार्थी चालक अनुज्ञाप्ति पत्र	चालक अनुज्ञाप्ति पत्र
1.	अम्बाला	1,76,647	14,68,140	59,54,620
2.	भिवानी	1,27,070	21,09,100	73,34,850
3.	फरीदाबाद	2,378	23,37,840	1,25,24,000
4.	फतेहाबाद	70,250	9,26,100	65,43,200
5.	गुडगाँव	15,840	8,92,920	22,16,350
6.	हिसार	1,69,325	14,62,140	61,83,225
7.	झज्जर	2,11,250	20,25,600	83,40,880
8.	जीद	77,100	23,07,660	74,50,630
9.	कैथल	1,85,430	7,41,600	14,11,000
10.	करनाल	83,820	21,33,120	61,60,080
11.	कुरुक्षेत्र	48,878	15,08,913	56,35,664
12.	महन्द्रगढ़	65,550	7,77,960	46,57,340
13.	पंचकूला	12,290	17,43,060	35,60,070
14.	पानीपत	10,42,310	48,95,246	49,69,766
15.	रिवाड़ी	38,470	17,04,120	37,93,750
16.	रोहतक	1,33,400	16,12,270	78,12,020
17.	सिरसा	10,05,100	12,15,490	41,43,850
18.	सोनीपत	90,800	5,88,600	36,21,650
19.	यमुनानगर	25,900	12,46,260	32,88,150
20.	मेवात	42,200	4,87,770	18,36,750
21.	पलवल	40,200	9,92,460	34,05,400
कुल (1–19)		36,64,208	3,31,76,369	11,08,43,245
सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण				
1.	अम्बाला	0	11,520	5,85,770
2.	भिवानी	0	0	8,46,850
3.	फरीदाबाद	0	755	45,300
4.	फतेहाबाद	0	10,500	2,01,585
5.	गुडगाँव	0	22,140	33,95,800
6.	हिसार	0	1,29,340	10,67,560
7.	झज्जर	0	60	1,52,660
8.	जीद	0	0	1,61,750
9.	कैथल	0	16,200	1,08,000
10.	करनाल	0	11,040	3,71,250
11.	कुरुक्षेत्र	0	3,660	42,400
12.	महन्द्रगढ़	0	87,960	9,20,105
13.	पंचकूला	0	1,400	1,98,900
14.	पानीपत	0	18,630	93,150
15.	रिवाड़ी	0	0	12,25,995
16.	रोहतक	0	45,900	10,83,470
17.	सिरसा	0	1,560	1,18,820
18.	सोनीपत	0	43,450	15,04,840
19.	यमुनानगर	0	2,430	2,96,070
20.	मेवात	0	880	18,97,175
21.	पलवल	0	9,180	1,04,000
कुल(1–21)		0	4,16,605	1,44,21,450
कुल (1 से 42)		36,64,208	3,35,92,974	12,52,64,695

तालिका – 3 वाहन संख्या सङ्क पर

वर्ष 2011–12 में विभिन्न प्रकार की वाहनों की कुल संख्या **59,78,110** थी। जिला अनुसार सङ्क पर चल रही कुल वाहनों की संख्या का विवरण तालिका 04 में दिया गया है।

तालिका – 4 31–3–2012 तक सङ्क पर चल रहे वाहन

उपमण्डल अधिकारी (ना०)–कम-रजिस्ट्रिंग अथोरिटी										
क्र० सं.	जिले का नाम	मोपेड/आटो साइकिल	स्कूटर	मोटर साइकिल	जीप	कारें	ट्रैक्टर	अन्य	मल्टीएक्सल/आर्टीकुलेटीड व्हीकल	लाईट कमर्शियल व्हीकल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अम्बाला	9,542	98,171	1,33,203	8,506	59,007	16,238	231	0	0
2.	भिवानी	10,264	30,745	84,837	7,733	23,051	33,736	1,471	0	0
3.	फरीदाबाद	46,408	1,16,177	3,06,103	1,644	1,83,614	5,279	229	0	0
4.	फतेहाबाद	6,351	24,760	70,983	4,496	11,928	32,604	346	0	0
5.	गुडगाँव	15,935	1,30,040	2,19,789	28,476	2,41,403	17,685	424	0	0
6.	हिसार	8,641	54,070	1,80,729	13,071	25,063	43,531	1	0	0
7.	झज्जर	1,950	22,910	67,495	2,421	17,145	41,362	0	0	0
8.	जींद	5,785	22,516	95,188	2,441	15,958	38,954	9	0	0
9.	कैथल	5,058	23,706	97,420	3,972	14,012	30,861	426	0	0
10.	करनाल	19,529	91,902	2,01,641	4,647	42,689	53,281	7,149	0	0
11.	कुरुक्षेत्र	11,065	44,705	1,05,039	2,416	29,089	35,294	197	0	0
12.	महन्द्रगढ़	7,840	20,833	86,830	4,517	12,175	16,042	6	0	0
13.	पंचकूला	4,890	53,974	60,536	4,130	46,805	4,323	0	0	0
14.	पानीपत	5,960	40,968	1,21,971	6,214	48,617	29,307	0	0	0
15.	रिवाड़ी	3,451	46,479	1,10,354	1,368	16,963	11,177	260	0	0
16.	रोहतक	6,911	52,746	85,705	9,545	26,061	25,145	0	0	0
17.	सिरसा	11,463	38,748	1,11,915	14,783	28,119	44,564	0	0	0
18.	सोनीपत	4,308	33,972	1,71,540	512	43,911	14,210	26	0	0
19.	यमुनानगर	3,104	36,843	1,63,988	0	40,179	11,965	11	0	0
20.	मेवात	102	1,979	60,810	95	4,536	7,897	23	0	0
21.	पलवल	170	1,692	38,016	215	6,787	3,203	0	0	0
	कुल	1,88,727	9,87,936	25,74,092	1,21,202	9,37,112	5,16,658	10,809	0	0
सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण										
1.	अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	2,266	8,570
2.	भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	344	3,711
3.	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	28,487	32,993
4.	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035
5.	गुडगाँव	0	0	0	0	0	0	0	28,290	13,840
6.	हिसार	0	0	0	0	0	0	0	134	8,274
7.	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	2,238	4,626
8.	जींद	0	0	0	0	0	0	0	568	2,873
9.	कैथल	0	0	0	0	0	0	0	273	1,441
10.	करनाल	0	0	0	0	0	0	0	255	9,395
11.	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	50	2,499
12.	महन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	0	96	2,497
13.	पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	541	3,210
14.	पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	1,029	3,272
15.	रिवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	3,385	6,840
16.	रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	3,713	8,795
17.	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	107	1,773
18.	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	417	3,398
19.	यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	477	3,324
20.	मेवात	0	0	0	0	0	0	0	2,550	1,127
21.	पलवल	0	0	0	0	0	0	0	0	404
	मुख्यालय	109	3210	1275	0	52407	0	0	0	0
	कुल	1,88,836	9,91,146	25,75,367	1,21,202	9,89,519	5,16,658	1,08,09	75,220	1,24,897

तालिका – 4 (लगातार)
31–3–2012 तक सड़क पर चल रहे कुल वाहन

उपमण्डल अधिकारी (ना०)–कम–रजिस्ट्रिंग अथोरिटी

क्र० सं.	जिले का नाम	ट्रक व लारी	मैक्सी कैबस	आटो रिक्षा	टैक्सी व मोटर कैबस	बसें (यात्री वाहन)	कुल
1	2	12	13	14	15	16	17
1.	अम्बाला	0	0	0	0	0	3,24,898
2.	भिवानी	0	0	0	0	0	1,91,837
3.	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	6,59,454
4.	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	1,51,468
5.	गुडगाँव	0	0	0	0	0	6,53,752
6.	हिसार	0	0	0	0	0	3,25,106
7.	झज्जर	0	0	0	0	0	1,53,283
8.	जीद	0	0	0	0	0	1,80,851
9.	कैथल	0	0	0	0	0	1,75,455
10.	करनाल	0	0	0	0	0	4,20,838
11.	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	2,27,805
12.	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	1,48,243
13.	पचकूला	0	0	0	0	0	1,74,658
14.	पानीपत	0	0	0	0	0	2,53,037
15.	रिवाड़ी	0	0	0	0	0	1,90,052
16.	रोहतक	0	0	0	0	0	2,06,113
17.	सिरसा	0	0	0	0	0	2,49,592
18.	सोनीपत	0	0	0	0	0	2,68,479
19.	यमुनानगर	0	0	0	0	0	2,56,090
20.	मेवात	0	0	0	0	0	75,442
21.	पलवल	0	0	0	0	0	50,083

सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण

1.	अम्बाला	24,433	282	6,798	781	1,394	44,242
2.	भिवानी	3,233	0	1,832	261	737	10,118
3.	फरीदाबाद	73,760	0	21,428	7,973	3,936	1,68,577
4.	फतेहाबाद	1,540	0	912	103	497	5,087
5.	गुडगाँव	35,683	66	17,587	4,315	16,862	1,16,577
6.	हिसार	4,581	0	3,224	300	1,672	18,185
7.	झज्जर	13,316	0	4,556	906	541	26,183
8.	जीद	2,687	142	3,216	832	850	11,026
9.	कैथल	875	14	1,404	45	988	5,026
10.	करनाल	4,854	0	7,636	468	1,166	23,774
11.	कुरुक्षेत्र	1,016	0	2,641	226	924	7,356
12.	महेन्द्रगढ़	1,588	26	563	1,752	732	7,228
13.	पचकूला	5,017	0	4,209	1,055	1,375	15,407
14.	पानीपत	2,025	72	4,943	541	963	12,773
15.	रिवाड़ी	7,669	0	2,143	1,035	1,613	22,685
16.	रोहतक	15,250	470	10,859	1,513	1,650	41,780
17.	सिरसा	1,302	0	545	49	1,180	4,956
18.	सोनीपत	5,812	0	4,266	872	694	15,459
19.	यमुनानगर	8,208	56	2,869	450	829	16,157
20.	मेवात	3,901	0	1,409	133	318	9,438
21.	पलवल	765	0	955	183	232	2,539
	कुल 1-42	2,17,515	1,128	1,03,995	23,793	39,153	59,78,110

4 ट्रेड प्रमाण पत्र/पंजीकरण/स्वामीत्व में परिवर्तन/किराया खरीद समझौता /टोकन कर

वर्ष 2011–12 में 1,127 ट्रेड प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा इनसे 2,82,260 रुपये की आय प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त 6,07,587 वाहन पंजीकृत किए गए तथा इनसे 73,66,37,309 रुपये की आय प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त 45,114 प्रतिलिपि पंजीकरण, 6,92,914 स्वामीत्व में परिवर्तन एवं 1,93,341 किराया खरीद समझौते किए गए जिनसे कमशः 49,22,952, 1,32,81,297 एवं 2,02,13,777 रुपये की आय हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 में 4,38,17,36,559 रुपये की आय टोकन कर से हुई। ट्रेड प्रमाण पत्र, पंजीकरण, प्रतिलिपि पंजीकरण, स्वामीत्व में परिवर्तन तथा किराया खरीद समझौता की संख्या तथा उनसे प्राप्त आय तथा टोकन कर से प्राप्त आय का विवरण तालिका 05 में प्रस्तुत है।

तालिका – 5

उपमण्डल अधिकारी (ना०)–रजिस्ट्रींग अथोरिटी

क्र. सं.	जिले का नाम	ट्रेड प्रमाण पत्र		पंजीकरण		प्रतिलिपि पंजीकरण		स्वामीत्व में परिवर्तन		किराया खरीद समझौता		टोकन कर
		संख्या	शुल्क रुपये	संख्या	शुल्क रुपये	संख्या	शुल्क रुपये	संख्या	शुल्क रुपये	संख्या	शुल्क रुपये	
1.	अम्बाला	86	25,800	29,773	12,41,75,109	1,025	1,82,000	3,018	6,42,280	3,490	3,49,000	13,92,19,804
2.	भिवानी	2	600	25,360	2,78,91,974	1,222	1,33,220	7,606	5,32,130	2,678	2,64,200	8,56,08,627
3.	फरीदाबाद	64	25,700	66,854	18,06,11,230	6,350	3,90,910	13,202	9,25,120	32,327	32,32,700	56,65,84,684
4.	फतेहाबाद	0	0	14,699	10,29,320	754	36,620	9,293	5,51,650	3,837	3,83,700	4,85,88,639
5.	गुडगाँव	305	58,100	64,726	2,90,72,800	3,064	2,84,880	3,680	19,93,640	44,504	44,50,400	1,31,85,46,308
6.	हिसार	37	9,700	30,371	6,74,375	3,062	17,860	14,752	2,22,510	975	97,600	13,60,02,269
7.	झज्जर	11	3,300	18,501	39,45,232	506	17,750	2,596	1,74,493	3,779	3,77,900	7,76,37,229
8.	जींद	6	960	19,121	1,27,59,274	627	35,420	2,579	1,42,260	1,300	2,98,300	34,62,44,227
9.	कैथल	30	0	17,121	1,46,68,673	636	25,930	3,281	27,480	5,899	5,89,900	4,66,01,077
10.	करनाल	30	3,000	32,813	1,20,02,610	1,000	53,550	1,884	1,75,640	7,285	11,56,827	13,31,97,569
11.	कुरुक्षेत्र	35	7,000	19,937	89,23,316	524	31,120	4,570	2,88,480	2,122	2,12,200	11,00,55,900
12.	महेन्द्रगढ़	2	2,400	17,575	4,57,99,014	550	45,070	3,277	1,84,680	3,419	3,41,900	5,04,17,147
13.	पच्चकुला	12	3,600	16,548	16,08,920	5,246	3,27,390	2,493	1,52,980	9,583	9,58,300	10,83,36,326
14.	पानीपत	4	400	22,083	10,36,49,792	244	17,400	1,222	56,540	1,987	1,96,700	10,32,51,592
15.	रिवाड़ी	9	1,800	22,056	1,28,07,148	2,626	1,80,960	3,101	1,90,750	1,820	1,82,000	7,34,61,704
16.	रोहतक	0	0	21,487	1,03,30,106	1,113	1,66,950	5,68,823	1,66,950	2,900	2,90,000	8,97,00,218
17.	सिरसा	0	0	19,063	81,13,932	1,098	64,700	5,062	4,55,170	4,818	6,28,900	9,02,71,406
18.	सोनीपत	7	4,400	28,023	28,87,045	1,743	66,640	8,011	3,49,800	8,586	8,58,800	11,98,62,536
19.	यमुनानगर	0	0	27,000	21,37,440	2,175	1,06,650	9,302	5,47,440	11,747	11,74,700	8,88,92,299
20.	मेहरात	0	0	10,973	21,94,800	596	20,230	0	0	0	0	1,84,64,157
21.	पलवल	0	0	20,349	40,69,800	2,495	1,65,430	3,755	2,65,100	2,541	1,51,100	7,87,90,219
	कुल (1 से 22)	640	1,46,760	54,44,432	60,91,51,710	36,656	23,50,680	6,71,507	80,45,073	1,55,587	1,81,94,927	3,82,77,33,927

साधिक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण

1.	अम्बाला	10	2,000	1,752	8,46,000	198	40,200	1,127	2,53,575	898	89,800	34,04,487
2.	भिवानी	—	—	240	28,99,389	80	15,000	2,175	4,70,250	329	32,900	1,71,44,976
3.	फरीदाबाद	238	47,600	6,888	2,43,03,030	1,171	3,57,787	1,729	5,47,444	6,576	6,57,600	19,90,44,405
4.	फतेहाबाद	—	—	842	28,10,649	5	1,300	642	1,51,180	1,780	1,78,000	81,19,428
5.	गुडगाँव	98	28,800	23,337	5,83,42,500	4,875	17,06,250	4,268	14,97,200	5,780	9,78,000	6,87,33,304
6.	हिसार	9	1,800	3,070	58,31,032	145	26,100	1,813	2,78,850	870	8,700	2,51,71,595
7.	झज्जर	8	4,900	2,867	12,58,400	14	3,100	48	9,700	3,655	3,65,500	38,66,295
8.	जींद	0	0	1,691	11,00,795	90	10,150	1,188	2,97,000	1,630	1,53,000	1,73,01,384

9.	केथल	2	800	1,050	39,300	65	11,500	128	28,800	207	20,700	1,60,88,103
10.	करनाल	6	5,800	2,236	10,44,315	29	4,900	179	33,200	1,940	1,94,000	7,08,047
11.	कुरुक्षेत्र	—	—	1,055	7,00,300	18	3,450	56	14,000	902	90,200	34,15,406
12.	महेन्द्रगढ़	—	—	708	24,63,748	69	1,035	1,854	3,70,800	1,136	1,13,800	1,42,80,626
13.	पंचकूला	0	0	2,654	23,88,600	162	48,800	388	87,525	177	17,700	2,88,98,989
14.	पानीपत	1	300	3,431	10,55,405	337	50,900	48	10,800	75	7,500	1,89,06,321
15.	रिवाड़ी	11	6,500	1,981	57,43,110	407	1,09,000	1,466	2,09,000	2,222	2,22,200	2,28,88,682
16.	रोहतक	86	25,800	2,568	31,08,125	312	54,800	1,879	3,75,800	1,140	1,14,000	3,17,67,226
17.	सिरसा	—	—	902	20,67,156	40	10,350	850	1,89,000	875	8,750	1,44,46,550
18.	सोनीपत	3	1,800	2,396	1,01,06,745	151	37,750	1,180	2,36,000	1,730	1,73,000	3,23,31,031
19.	यमुनानगर	—	—	1,519	6,43,200	18	3,850	82	16,400	1,348	1,35,000	28,68,968
20.	मेहात	—	—	2,068	6,20,400	169	50,700	403	1,20,900	3,162	3,16,200	1,72,36,205
21.	पलवल	17	9,600	1,306	3,92,400	103	25,750	103	30,900	1,425	1,42,500	74,02,605
	कुल (1 से 21)	487	1,35,500	63,155	12,74,85,599	8,458	25,72,272	21,407	52,36,224	37,754	40,18,880	55,40,02,632
	कुल (1 से 43)	1,127	2,82,260	6,07,587	73,68,37,309	45,114	49,22,952	6,92,914	1,32,81,287	1,93,341	2,02,13,777	4,38,17,36,559

5. वाहनों का निरीक्षण

हरियाणा मोटर वाहन नियम-1993 की धारा 38 के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर गठित निरीक्षण बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत परिवहन वाहनों को फिटनैस प्रमाण पत्र जारी करता है।

- (i) यदि वाहनों की फिटनैस बारे निरीक्षण बोर्ड के सदस्यों में मतभेद पाया जाता है तो निरीक्षण बोर्ड के निर्णय अनुसार वाहन को फिटनैस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।
- (ii) भारतीय मोटर वाहन के नियम-1989 की धारा 62 के अनुसार परिवहन वाहन फिटनैस प्रमाण-पत्र मोटर वाहन एकट 1988 की धारा 56 के अनुसार फिटनैस प्रमाण पत्र निर्धारित फार्म 38 में दिया जाता है। जिसकी समय वैद्यता निम्न अनुसार है:-

- | | |
|---|-------|
| (क) नया परिवहन वाहन | 2 साल |
| (ख) उपरोक्त "क" में दिये गये वाहनों के फिटनैस प्रमाण पत्र कर नवीकरण | 1 साल |

- (iii) फिटनैस प्रमाण जारी करने और नवीकरण करने के लिये शुल्क सैन्ट्रल मोटर वाहन नियम की धारा 81 के अनुसार ली जाती है।

जिला स्तरीय निरीक्षण बोर्ड द्वारा निरीक्षण की नई वाहनों का विवरण तालिका 06 में दिया गया है:-

तालिका - 6 निरीक्षण किए गए वाहनों एवं उनसे प्राप्त आय का विवरण

सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण				
क्र. सं.	निरीक्षण केन्द्र	निरीक्षण संख्या	पास	शुल्क रूपये
1.	अमौला	6,328	6,328	21,64,000
2.	भिवानी	10,375	9,862	31,42,100
3.	फरीदाबाद	30,969	30,969	1,23,87,600
4.	फतेहाबाद	865	865	34,60,000
5.	गुडगाँव	48,570	48,570	2,91,42,000
6.	हिसर	865	865	3,46,000
7.	झज्जर	14,033	14,033	56,13,200
8.	जोधपुर	5,566	5,566	24,51,800
9.	केथल	3,043	3,043	12,17,200
10.	करनाल	10,842	10,842	4,34,600
11.	कुरुक्षेत्र	4,513	4,513	18,64,100
12.	महेन्द्रगढ़	5,447	5,447	19,94,700

13.	पंचकूला	8,806	8,757	26,62,800
14.	पानीपत	8,190	8,190	4,09,500
15.	रिवाड़ी	11,030	11,030	38,60,500
16.	रोहतक	11,885	11,885	43,12,850
17.	सिरसा	4,026	4,026	19,70,900
18.	सोनीपत	2,354	2,354	24,71,700
19.	यमुनानगर	6,703	6,703	20,05,400
20.	मेवात	4,710	4,689	15,30,750
21	पलवल	5,428	5,414	21,71,200
	कुल	2,04,548	2,03,951	8,56,12,900

6. पुरानी गाड़ियों के बदले में नई गाड़ियों का भालना

वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत सचिव परिवहन प्राधिकारी अम्बाला, करनाल, जीन्द, सिरसा, यमुनानगर, गुडगाँव, रिवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, फतेहबाद, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, मेवात व पलवल में 1,416 सार्वजनिक वाहन, 487 निजी वाहन तथा 935 आटो रिक्शा/टैक्सियों को बदलने की अनुमति दी। जिसका विवरण तालिका 7 में दिया गया है।

तालिका — 7
बदले गए वाहनों का ब्यौरा

क्र० सं.	केन्द्र	सार्वजनिक वाहन	निजी वाहन	टैक्सी/आटो रिक्शा	कुल
1.	अम्बाला	3	0	0	3
2.	भिवानी	1,402	487	935	2,824
3.	फरीदाबाद	0	0	0	0
4.	फतेहबाद	0	0	0	0
5.	गुडगाँव	0	0	0	0
6.	हिसार	0	0	0	0
7.	झज्जर	0	0	0	0
8.	जीन्द	0	0	0	0
9.	कैथल	4	0	0	4
10.	करनाल	0	0	0	0
11.	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0
12.	महेन्द्रगढ़	1	0	0	1
13.	पंचकूला	0	0	0	0
14.	पानीपत	0	0	0	0
15.	रिवाड़ी	0	0	0	0
16.	रोहतक	6	0	0	6
17.	सिरसा	0	0	0	0
18.	सोनीपत	0	0	0	0
19.	यमुनानगर	0	0	0	0
20.	मेवात	0	0	0	0
21	पलवल	0	0	0	0
	कुल	1,416	487	935	2,838

7. अस्थायी अनुज्ञा पत्र (30 दिन)

वर्ष 2011–12 में सचिव परिवहन प्राधिकारी अम्बाला, करनाल, जीन्द, सिरसा, यमुनानगर, गुडगाँव, रिवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, फतेहबाद, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, पानीपत व सोनीपत द्वारा 6,300 तीस दिन के लिये अनुज्ञा पत्र जारी किए गए जिनका विवरण तालिका 8 में दिया गया है :—

तालिका – 8
अस्थाई अनुज्ञा पत्रों का व्यौरा

क्र. सं.	केन्द्र	सार्वजनिक वाहन	निजी वाहन	टैक्सी	विवाह/पर्यटक के लिये जारी अनुज्ञा पत्र	कुल
1.	अम्बाला	19	0	0	21	140
2.	भिवानी	0	0	0	0	0
3.	फरीदाबाद	0	0	0	0	0
4.	फतेहाबाद	61	0	0	0	61
5.	गुडगांव	768	0	0	59	827
6.	हिसार	173	0	0	0	173
7.	झज्जर	86	0	0	0	86
8.	जींद	50	0	0	0	56
9.	कैथल	252	207	74	0	533
10.	करनाल	0	0	0	0	0
11.	कुरुक्षेत्र	596	0	81	0	677
12.	महेन्द्रगढ़	42	0	0	0	42
13.	पंचकुला	0	0	0	0	0
14.	पानीपत	662	0	0	0	622
15.	रिवाड़ी	0	0	0	0	13
16.	रोहतक	28	0	0	0	28
17.	सिरसा	0	198	0	0	198
18.	सोनीपत	0	2,245	0	0	2,245
19.	यमुनानगर	238	0	0	43	281
20.	मेवात	0	0	12	57	69
21.	पलवल	249	0	0	0	249
	कुल	3,224	2,650	167	180	6,300

8. स्थाई अनुज्ञा पत्र

ऊपर दिये गये 30 दिन के अस्थाई अनुज्ञा पत्र के अतिरिक्त वर्ष 2011–12 में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अम्बाला, करनाल, जीन्द, सिरसा, यमुनानगर, गुडगांव, रिवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, मेवात व पलवल **60,682** अनुज्ञा पत्र जारी किये गये जिसका विवरण तालिका 9 में दिया गया है:—

तालिका – 9

वर्ष 2011–12 में जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों की संख्या

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	प्रबंध वाहन	निजी वाहन	सार्वजनिक वाहन		अनुबंध वाहन			कुल
				ट्रक	फोर व्हीलर	टैक्सी	टैम्पू थ्री व्हीलर	मैक्सी-कैब	
1.	अम्बाला	0	0	1,145	78	174	570	0	1,967
2.	भिवानी	42	0	1,717	369	188	787	0	3,103
3.	फरीदाबाद	0	0	4,566	0	420	2,562	0	7,548
4.	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुडगांव	0	0	8,790	0	4,750	4,950	0	18,490
6.	हिसार	0	0	564	0	90	1,117	0	1,771
7.	झज्जर	0	0	0	2,378	117	307	0	2,802
8.	जींद	40	612	500	0	110	305	0	1,567
9.	कैथल	78	207	252	298	74	179	0	1,088
10.	करनाल	0	0	240	266	71	678	0	1,255
11.	कुरुक्षेत्र	30	0	90	0	55	582	0	757
12.	महेन्द्रगढ़	0	0	131	0	303	257	0	691
13.	पंचकुला	8	0	731	0	194	720	0	1,653
14.	पानीपत	175	17	776	378	547	956	0	2,849
15.	रिवाड़ी	0	143	1,296	0	243	500	0	2,182
16.	रोहतक	612	0	1,093	351	154	1,787	0	3,997
17.	सिरसा	308	0	488	88	12	125	0	1,021
18.	सोनीपत	30	160	751	551	288	840	0	2,620
19.	यमुनानगर	0	0	1,683	0	67	452	0	2,202

20.	मेवात	0	0	1,446	0	12	207	0	1,665
21	पलवल	0	0	625	625	15	189	0	1,454
	कुल	1,323	1,139	26,884	5,382	7,884	18,070	0	60,682

9 अन्तर्राज्य समझौते के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्रों पर प्रति हस्ताक्षर करना

वर्ष 2011–12 में अन्तर्राज्य समझौते के अन्तर्गत 249 सार्वजनिक वाहन अनुज्ञा पत्रों पर सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने प्रति हस्ताक्षर किये जिनका विवरण तालिका 10 में दिया गया हैः—

तालिका – 10

अंतर्राज्यीय अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर का व्यौरा

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	जम्मु एवं कश्मीर	दिल्ली	यू.पी.	चण्डीगढ़	कुल
1.	अम्बाला	158	0	0	0	0	5	163
2.	भिवानी	0	0	0	0	0	0	0
3.	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0
4.	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुडगाँव	0	0	0	0	0	0	0
6.	हिसार	1	0	0	0	0	0	1
7.	झज्जर	0	0	0	0	0	0	0
8.	जीद	19	0	0	0	0	0	19
9.	कैथल	0	0	0	0	0	0	0
10.	करनाल	0	0	0	0	0	0	0
11.	कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0
12.	महेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0	0
13.	पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0
14.	पानीपत	0	0	0	0	0	0	0
15.	रिवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0
16.	रोहतक	0	0	0	0	0	0	0
17.	सिरसा	0	0	0	0	0	0	0
18.	सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0
19.	यमुनानगर	0	66	0	0	0	0	66
20.	मेवात	0	0	0	0	0	0	0
21	पलवल	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	178	66	0	0	0	5	249

10. मान्य अनुज्ञा पत्रों की संख्या

वर्ष 2011–12 के अन्त तक मान्य अनुज्ञा पत्रों की कुल संख्या 1,32,866 थी। जिसका विवरण तालिका 11 में दिया गया हैः—

तालिका – 11
मान्य अनुज्ञा पत्रों का व्यौरा

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	प्रबंध वाहन	सार्वजनिक वाहन			टैक्सी	अनुबंध वाहन	कुल
			ट्रक	3 क्लीलर	4 क्लीलर			
1.	अम्बाला	251	25,200	872	265	277	1,360	28,225
2.	भिवानी	0	903	0	0	168	675	1,746
3.	फरीदाबाद	0	4,566	2,562	0	420	0	7,548
4.	फतेहाबाद	71	481	0	80	39	0	671
5.	गुडगाँव	0	17,789	3,870	0	5,270	0	26,929
6.	हिसार	94	0	0	180	139	0	413
7.	झज्जर	0	0	307	2,211	115	0	2,633
8.	जीद	40	711	289	112	110	149	1,411
9.	कैथल	78	207	179	127	74	0	665
10.	करनाल	0	240	0	0	71	678	989
11.	कुरुक्षेत्र	30	657	165	28	97	148	1,125
12.	महेन्द्रगढ़	0	0	257	131	303	0	691

13.	पंचकुला	8	731	0	0	194	72	1,005
14.	पानीपत	192	275	295	378	224	662	2,026
15.	रिवाड़ी	0	2,803	1,296	112	243	0	4,454
16.	रोहतक	62	1,093	1,787	351	154	171	3,618
17.	सिरसा	308	576	1,075	0	0	0	1,959
18.	सोनीपत	30	26,088	6,868	5,520	838	1,092	40,436
19.	यमुनानगर	33	607	452	487	67	378	2,024
20.	मेवात	8	1,446	207	0	12	0	1,673
21.	पलवल	0	625	189	0	15	0	829
	कुल	1,205	86,294	21,170	9,982	8,830	5,385	1,32,866

11. परमिट प्रति हस्ताक्षर तथा कम्पोजिशन शुल्क से आय

वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अम्बाला, करनाल, जीन्द, सिरसा, यमुनानगर, गुडगांव, रिवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, फतेहबाद, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, मेवात व पलवल द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी करने प्रति हस्ताक्षर करने तथा कम्पोजिशन फीस से राज्य को **37,42,49,627** रुपये की आय हुई है। आय का विवरण तालिका 12 में दिया गया है।

तालिका – 12

अनुज्ञा पत्र प्रति हस्ताक्षर तथा कम्पोजिशन फीस से आय

क्रं.सं.	विवरण	आय (लाख रुपये में)
1.	अनुज्ञा पत्र जारी करने से	11.95
2.	प्रति हस्ताक्षर करने से	0.68
3.	कम्पोजिशन फीस से	24.78
	कुल	37.42

12. राज्य परिवहन प्राधिकरण

मोटर वाहन एकट 1988 की धारा 68 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसका चेयर पर्सन परिवहन आयुक्त तथा सदस्य अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त है। जिन्हें प्रबंध वाहन अनुज्ञा पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त विभाग को 21 सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण में बांटा गया है जिसका अध्यक्ष परिवहन आयुक्त, सदस्य अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त तथा सचिव सम्बन्धित सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है।

मोटर वाहन एकट तथा नियमों के अनुसार सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को यातायात का नियन्त्रण रखने के लिये तथा परमिट जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रत्येक सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की सहायता के लिये अन्य स्टाफ भी प्रदान किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अम्बाला, करनाल, जीन्द, सिरसा, यमुनानगर, गुडगांव, रिवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, फतेहबाद, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, मेवात व पलवल ने कार्य किया।

13. राज्य परिवहन बोर्ड

राज्य सरकार ने अगस्त 1972 से हरियाणा राज्य परिवहन बोर्ड की स्थापना की व इसका पुर्नगठन वर्ष 1979 में किया गया है।

बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

- | | |
|--|-------------|
| 1. परिवहन मन्त्री | अध्यक्ष |
| 2. वित्तीय सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग | सदस्य |
| 4. परिवहन आयुक्त, हरियाणा | सदस्य सचिव, |

14. जिला पुलिस द्वारा यातायात पर नियन्त्रणः

वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत जिला पुलिस ने यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाली गाड़ियों के 4,10,392 चालान किए और इनसे कुल 21,61,90,400 रुपये जुर्माने के रूप में एकत्रित किए गए।

इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अधीन वर्ष में 5,305 चालान किए गए तथा इनसे कुल 72,912 रुपये जुर्माने के रूप में एकत्रित किए गए।

15. मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी व उनकी कार्य अवधि

वर्ष 2011–12 में मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी व उनकी कार्य अवधि का व्यौरा तालिका 13 में दिया गया है :—

तालिका — 13

क्र०सं०	पद	नाम	अवधि
1.	परिवहन आयुक्त	श्री बी.एस.मलिक, आई.ए.एस. श्री संत कुमार, आई.ए.एस.	21.3.2011 से 28.6.2011 28.6.2011 से 31.3.2012
2.	अतिरिक्त परिवहन आयुक्त—1	श्री भुपेन्द्र सिंह, एच.सी.एस	15.9.2010 से 17.1.2014
3.	अतिरिक्त परिवहन आयुक्त—2	श्री विवेक अत्रेय, एच.सी.एस	11.5.2011 से 26.11.2012

16. मोटर वाहन कर की दरें :—

वर्ष 2011–12 में विभिन्न वाहनों हेतु अंकित की गई कर की दरों का व्यौरा तालिका 14 में दिया गया है :—

तालिका — 14

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	कर की दर
	निजी प्रयोजन वाहन	
1.	90.72 कि०ग्रा० वजन से कम खाली भार क्षमता	150/- रु०
2.	20000/-रु० से कम की कीमत का दुपहिया वाहन	वाहन के मूल्य का 2 प्रतिशत
3.	20000/-रु० से 60,000 तक की कीमत का दुपहिया वाहन	वाहन के मूल्य का 4 प्रतिशत
4.	60000/-रु० से 2,00,000 तक की कीमत का दुपहिया वाहन	वाहन के मूल्य का 6 प्रतिशत
5.	2,00,000/-रु० से अधिक तक की कीमत का दुपहिया वाहन	वाहन के मूल्य का 8 प्रतिशत
6	6,00,000/-रु० तक की कीमत की कार	वाहन के मूल्य का 3 प्रतिशत
7	6,00,000/-रु० से 10,00,000 तक की कीमत की कार	वाहन के मूल्य का 6 प्रतिशत
8	10,00,000/-रु० से 20,00,000 तक की कीमत की कार	वाहन के मूल्य का 8 प्रतिशत
9	20,00,000/-रु० से अधिक कीमत की कार	वाहन के मूल्य का 9 प्रतिशत
	माल वाहक	
1.	तिपहिया वाहन	300/-रु० प्रतिवर्ष
2	सकल भार 1.2 टन तक वाहन	300/-रु० प्रतिवर्ष
3	सकल भार 1.2 टन से 6 टन तक वाहन	1,200/-रु० प्रतिवर्ष

4	सकल भार 6 टन से 16.2 टन तक वाहन	2,400/- रु० प्रतिवर्ष
5	सकल भार 16.2 टन से 25 टन तक वाहन	3,500/- रु० प्रतिवर्ष
6	सकल भार 25 टन से अधिक यात्री वाहन	4,500/- रु० प्रतिवर्ष
1	स्टेज कैरिज बस	550/- रु० प्रति सीट प्रतिवर्ष
2	फरीदाबाद व गुरुग्राम की शहरी हाफ बॉडी स्टेज कैरिज बस	18,000/- रु० प्रतिवर्ष
3	फरीदाबाद व गुरुग्राम की शहरी फुल बॉडी स्टेज कैरिज बस	30,000/- रु० प्रतिवर्ष
4	फैक्टरी एवं धार्मिक संस्था का वाहन	200/- रु० प्रति सीट प्रतिवर्ष
5	मैक्सी कैब	200/- रु० प्रति सीट प्रतिवर्ष
6	मोटर कैब	100/- रु० प्रति सीट प्रतिवर्ष
7	आटोरिक्शा	300/- रु० प्रतिवर्ष
8	निजी सेवा वाहन	400/- रु० प्रति सीट प्रतिवर्ष

17. चौकसी विभाग से प्राप्त रिपोर्ट:-

चौकसी विभाग हरियाणा की वर्ष 2011-12 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट अनुसार चौकसी विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में 718 बसों/वाहनों के चालान किए गए तथा 257 प्राईवेट बसों/वाहनों को जब्त किया गया।

महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा से पत्र क्रमांक 6005/आई-4/रा.चौ.ब्यूरो (ह) दिनांक 18.5.2016 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट जोकि निदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा को प्रेषित है अनुसार वर्ष 2011-12 में निम्न स्थिति अनुसार परिवहन आयुक्त, हरियाणा से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई।

वर्ष	परिशिष्ट दर्शाएं गए केसों की संख्या	जांच क्रमांक व दिनांक	कर्मचारी/अधिकारी का नाम व पद का नाम	आरोपों विवरण	केस की वर्तमान स्थिति
2011-12	7	3 दिनांक 26.4.2011 हिसार	1. एस.एस भोरिया, सहायक सचिव 2. हवा सिंह, सहायक सचिव कार्यालय आर.टी.ए हिसार। 3. धनश्याम लिपिक, कार्यालय आर.टी.ए हिसार 4. संजीव कुमार, लिपिक कार्यालय आर.टी.ए हिसार।	आपस में मिलीभगत करके अवैध तरीके से व काम में हेराफेरी करके आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वारे।	सरकार चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 51/12/2011-2 चौ(1) दिनांक 10.2.2014 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।
		2 दिनांक 7. 7.2011 फरीदाबाद	1. कृष्ण कुमार, मोटर वाहन निरीक्षक, कार्यालय आर.टी.ए फरीदाबाद	अपने पद का दुरुपयोग करके व गैर कानूनी तरीके से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित	सरकार चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 51/8/2011-2 चौ

			2. नरेन्द्र शर्मा, लिपिक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, चण्डीगढ़।	करके सरकार को हानि पहुंचाने बारे।	(1) दिनांक 8.6.2015 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।
		1 दिनांक 2011, गुप्त (जीन्द)।	1. गिरीश अरोड़ा, एच.सी.एस डी.टी.ओ, जीन्द। 2. रणबीर सिंह, लिपिक कार्यालय आर.टी.ए जीन्द।	आपस में मिलीभगत करके कार्यालय आर.टी. ए जीन्द में भ्रष्टाचार करने बारे।	नियमित जांच कमांक 1 दिनांक 2.5.2013, जीन्द दर्ज की गई जिसका सरकार चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि कमांक 11/21/2011-1 चौ (1) दिनांक 14.3.2014 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।
		1 दिनांक 13.1.2012 झज्जर।	अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय आर.टी.ए बहादुरगढ़ जिला झज्जर	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपस में मिलीभगत करके अपने कार्यालय में पंजीकृत व हरियाणा के अन्य वाहन पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत वाहनों को भी बिना टैक्स जमा किए गलत तरीके से अन्य राज्यों के लिए एन.ओ. सी देकर हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने बारे आरोप है।	सरकार चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि कमांक 51/25/2011-2 चौ (1) दिनांक 28.3.2012 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।
		1 दिनांक 2.2.2012 हिसार	ओम प्रकाश, एच.सी. एस आर.टी.ओ हिसार।	आर.टी.ए हिसार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके अवैध तरीके से मोटर ड्राईविंग स्कूल का लाईसेंस स्थानातंरण करना।	लम्बित है।